

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांकः—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 686 / 2022

दिनांक : 22.02.2022

श्री संदीप कुमार शर्मा (RJ0198), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम—2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम—2005, जयपुर जिला, जयपुर को दिनांक 03.03.2022 से 04.03.2021 तक 02 दिनों का अद्वैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री शर्मा की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम—02, जयपुर जिला, जयपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम—2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम—2005, जयपुर जिला, जयपुर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से,



रजिस्ट्रेशन (वर्गीकरण) 21.02.2022

क्रमांकः—स्था.बी.2(4) / 17 / 1994 / 1387

दिनांक : 22.02.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम—2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम—2005, जयपुर जिला, जयपुर को उनके पत्रांक 13 दिनांक 15.02.2022 के सन्दर्भ में।
- श्री संदीप कुमार शर्मा (RJ0198), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम—2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम—2005, जयपुर जिला, जयपुर।
- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम—02, जयपुर जिला, जयपुर।


सहायक रजिस्ट्रार